

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 300 / 12

संस्थापन दिनांक:-09 / 07 / 12

फाईलिंग नं. 233504000632012

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

शिवराज सिंह पिता निर्मलसिंह सलूजा
 उम्र 22 वर्ष, निवासी पोस्ट ऑफिस के पीछे,
 बस स्टैंड आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 17.11.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 28.06.2012 को प्रातः 08:00 बजे मलकोटा मंदिर के सामने ग्राम नाहिया रोड पर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत वाहन क्र. एमपी-28-बीडी-1163 बुलेरो लाल रंग की जीप को उसका चालक होते हुए उसे उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर कांता को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.06.2012 को फरियादी भुवनेश्वर साहू ने चौकी बोड़खी आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि दिनांक 28.06.2012 को वह सुबह सोयाबीन बेचने बैतूल जा रहा था। उसके साथ उसका भाई कांता और पंजाबराव भी थे। करीब 8 बजे वे लोग मटकोला मंदिर के पास गाड़ी साईड में खड़ा करके मंदिर में पूजा कर रहे थे। तभी उसका भाई कांता जैसे ही पिकअप तरफ जाने लगा तो पंखा तरफ से आ रही लाल रंग की बुलेरो जीप ने उसके भाई कांता को तेज व लापरवाही पूर्वक जीप चलाकर जोर से ठोस मार दी जिससे कांता के सिर, कमर और बदन में अंदरूनी चोटें आयी। उन्होंने लाल रंग की बुलेरो का रोका जिसका नंबर एमपी-28-बीडी-1163 था तथा चालक ने अपना नाम शिवराज सिंह सलूजा बताया।

3 फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस चौकी बोड़खी में बुलेरो क्र. एमपी-28-बीडी-1163 के चालक शिवराज सिंह सलूजा के विरुद्ध अपराध क्र. 08/12 में पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु थाना आमला भेजा गया। थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध असल अपराध क्र. 248/12 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से लाल रंग की बुलेरो जीप क्र. एमपी-28-बीडी-1163 को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आहत की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्र-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.06.2012 को प्रातः 08:00 बजे मलकोटा मंदिर के सामने ग्राम नाहिया रोड पर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत वाहन क्र. एमपी-28-बीडी-1163 बुलेरो लाल रंग की जीप को उसका चालक होते हुए उसे उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर कांता को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क्र. 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष

6 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7 कांता साहू (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह पंखा रोड पर हनुमान मंदिर के सामने पूजा कर रहा था। तभी एक बुलेरो गाड़ी क्र. 1163 के चालक ने तेज रफ्तार से चलाकर टक्कर मार दी जिससे उसे सिर, कमर में चोट आयी। कमर की हड्डी टूट गयी। भुवनेश्वर (अ.सा.-1), भैय्यालाल (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वे और कांता मंदिर के सामने पूजा कर रहे थे। जैसे ही कांता पिकअप की तरफ जाने लगा, बुलेरो जीप के चालक ने टक्कर मार दिया जिससे कांता गंभीर रूप से घायल हो गया और कमर के पास उसे फेक्चर हो गया था। रुकमेश (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे यह खबर मिली थी कि उसके भाई कांता को किसी जीप वाले ने टक्कर मार दिया है जिससे उसकी कमर में फेक्चर हो गया था।

8 दिनेश सोनी (अ.सा.-8) का कहना है कि वह सीएचसी आमला में कंपाउंडर के पद पर पदस्थ है। वह सीएचसी आमला में पदस्थ डॉ. रोहित के हस्ताक्षरों से परिचित है। डॉ. रोहित द्वारा दिनांक 28.06.2012 को कांता का परीक्षण किया गया था जिसमें आहत के सिर पर 3 गुणा 2 सेमी. आकार का घाव एवं बांये पैर पर 5 गुणा 3 सेमी. एवं 6 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द पाया था। उक्त दोनों चोटों के लिए एक्सरे की सलाह दी गयी थी। साक्षी ने डॉ. रोहित द्वारा दी गयी मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) को प्रमाणित किया है।

9 डॉ. राजेश (अ.सा.-9) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि वह राठी अस्पताल नागपुर में पदस्थ है। वह डॉ. राठी के अधीनस्थ कार्य करता है और उनके हस्ताक्षर से भली भांति परिचित है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि दिनांक 28.06.2012 को आहत कांता का रोड एक्सीडेंट हुआ था। आहत जब राठी अस्पताल में आया तो उसका सीटी स्कैन और एक्सरे करवाया गया। आहत के एक्सरे में दाहिने कूल्हे में प्यूबिक बोन फेक्चर था। आहत की रीढ़ की हड्डी में टी-12 हड्डी में कम्प्रेसन फेक्चर था। आहत के सीटी ब्रेन में बांये पैराईटल रीजन में रक्त का थक्का जमा हुआ था। आहत का ईलाज मेडिसीन से ही किया गया। राठी अस्पताल में आहत लगभग आठ दिन अस्पताल में भरती रहा जहां पर आहत का केवल मेडिसीन से ईलाज किया गया। इसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज कार्ड (प्रदर्श पी-11) डॉ. राठी ने तैयार किया जिस पर डॉ. राठी के हस्ताक्षर हैं। डॉ. राजेश एवं चिकित्सक साक्षी दिनेश सोनी (अ.सा.-8), साक्षी रुकमेश (अ.सा.-2), भैय्यालाल (अ.सा.-3), भुवनेश्वर (अ.सा.-1), कांता साहू (अ.सा.-5) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में एवं बताये गये स्थान पर आहत को दुर्घटना में चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 ज्योत्सना यादव (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 28.06.2012 को थाना आमला की पुलिस चौकी बोड़खी में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी भुवनेश्वर की शिकायत पर अपराध क्र. 0/12 धारा 279, 337 भा.दं.सं. में प्रदर्श पी-1 का अपराध दर्ज कर असल कायमी हेतु थाना आमला भेजा जाना बताया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसे दिनांक 28.06.2012 को अपराध क्र. 248/12 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 29.06.2012 को घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श प्री-2 तथा दिनांक 30.06.2012 को एक लाल रंग की बुलेरो क्र. एमपी-28-बीडी-1163 को मय दस्तावेज के जप्त कर (प्रदर्श पी-8) का जप्ती पत्रक तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त शिवराज को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-9) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

11 एस.एल. साहू (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 07.07.2012 को थाना आमला की बोड़खी चौकी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क्र. 248/12 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने साक्षीगण पंजाबराव, कांता के कथन लेखबद्ध किये थे तथा आहत की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसने अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया था।

12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक को वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाया जाना नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में कांता साहू (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय पंखा रोड पर हनुमान मंदिर में पूजा कर रहा था तभी पंखा तरफ से एक बुलेरो गाड़ी के चालक ने तेज रफ्तार से चलाकर उसे टक्कर मार दी। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि मौके पर बुलेरो गाड़ी को रोककर चालक ने अपना नाम शिवराज बताया था। स्वतः कहा कि वाहन चालक टक्कर मारकर चला गया था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि वाहन का चालक लापरवाही से वाहन को चला रहा था। स्वतः कहा कि तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। भुवनेश्वर (अ. सा.-1) एवं भैय्यालाल (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वे घटना के समय अपने पिकअप वाहन को साईड में खड़ा करके पूजा कर रहे थे। तभी पंखा तरफ से एक बुलेरो जीप के चालक ने कांता को टक्कर मार दिया था

जिससे कांता गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव को गलत बताया है कि दिनांक 28.06.2012 को अभियुक्त शिवराज ने बुलेरो वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर कांता को टक्कर मारी थी।

14 कांता (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि वह अभियुक्त से राजीनामा करना चाहता है। वह मंदिर के सामने रोड के किनारे खड़े होकर पूजा कर रहा था। साथ में उसके पापा और भाई भी थे जिन्होंने घटना देखी थी और उसे घटना के बारे में बताया था। वह मौके पर ही बेहोश हो गया था। घटना के समय वाहन को कौन चला रहा था उसने नहीं देखा था। स्वतः कहा कि वाहन चलाने वाले का नाम शिवराज बताया था। चालक का नाम उसके पिता और भाई ने घटना के दूसरे दिन उसके होश आने पर बताया था। भुवनेश्वर (अ.सा.-1) एवं भैय्यालाल (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि टक्कर मारने वाले वाहन को कौन चला रहा था उन्होंने नहीं देखा था। गाड़ी कैसे चल रही थी यह भी वे नहीं देख पाये थे।

15 रूकमेश (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे यह खबर मिली थी कि उसके भाई कांता को किसी जीप वाले ने टक्कर मार दिया है जिससे उसकी कमर में फेक्चर हो गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने वाहन चालक को नहीं देखा था और गाड़ी कैसे चल रही थी यह भी नहीं देखा था। अतः उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

16 प्रकरण में आहत कांता (अ.सा.-5), भुवनेश्वर (अ.सा.-1) एवं भैय्यालाल (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वे बुलेरो गाड़ी के चालक को नहीं देख पाये थे। प्रतिपरीक्षण में आहत कांता ने यह बताया है कि घटना के समय वह बेहोश हो गया था। घटना उसके भाई साक्षी भुवनेश्वर एवं पिता साक्षी भैय्यालाल ने देखी थी और उन्होंने ही उसे वाहन चालक का नाम बताया था परंतु साक्षी भैय्यालाल एवं भुवनेश्वर ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि वे टक्कर मारने वाले वाहन चालक को नहीं देख पाये थे, न ही वाहन कैसे चल रहा था यह देख पाये थे। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को वाहन बुलेरो क. एमपी-28-बीडी-1163 अभियुक्त शिवराज चला रहा था। साथ ही इस संबंध में भी साक्ष्य का अभाव है कि वाहन घटना के समय उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया जा रहा था। उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को वाहन बुलेरो अभियुक्त शिवराज चला रहा था। तब ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि वाहन को अभियुक्त शिवराज ने उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत कांता को टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

17 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन क्र. एमपी-28-बीडी-1163 बुलेरो लाल रंग की जीप को उसका चालक होते हुए उसे उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर कांता को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त शिवराज सिंह सलूजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 प्रकरण में जप्तशुदा लाल रंग की बुलेरो क्र. एमपी-28-बीडी-1163 निर्मलसिंह पिता दिलीप सिंह सलूजा निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

19 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)